प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 25 जुलाई, 2016**

विषय-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की पी0आई0यू0-सोनभद्र, मिर्जापुर एवं उन्नाव में वन विभाग की भूमि का मुआवजा दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 74,74,000.00 की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1030/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2016-17, दिनांक-04.07.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की पी0आई0यू0-सोनभद्र, मिर्जापुर एवं उन्नाव में वन विभाग की भूमि का मुआवजा दिए जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त रू0 74,74,000.00 (रूपये चौहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुये किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-636-दस/2016, दिनांक-25 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-40/2016/पी-470 (1)/अड्तीस-9-2016, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।
3- निदेशक (ग्रामीण सम्पर्कता), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

वित्तीय वर्ष 2016-2017

अनुदान संख्या व नाम: 13-ग्राम्य विकास विभाग **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनागत	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध मूल अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
"5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- **04**- जिला तथा अन्य सड़कें- **337**- सड़क निर्माण कार्य- **02**- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- **0201-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-					
24- वृहत निर्माण कार्य	14526980	7474	7474	7474	14519506
योग-	**14526980**	**7474**	**7474**	**7474**	**14519506**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
"5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- **04**- जिला तथा अन्य सड़कें- **337**- सड़क निर्माण कार्य- **03**- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-					
24- वृहत निर्माण कार्य	5360420	5367894	7474	7474	5367894
योग-	**5360420**	**5367894**	**7474**	**7474**	**5367894**

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1)- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

अनुदान संख्या-13 मद में कुल बजट प्राविधान रू0 1484.57 करोड़ के सापेक्ष अन्नतिम रूप से बचत सम्भावित हुयी है।

(2)- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

आवश्यकता के अनुरूप बजट प्राविधान न होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा की गयी व्यवस्थानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वन विभाग की भूमि का मुआवजा दिये जाने हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त में उत्तर प्रदेश बजट **संख्या-R.E-057 /ई-2-636-दस/2016, दिनांक-25 जुलाई, 2016** मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद ।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

बाराती लाल
उप सचिव
वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।

संख्या:- 40/2016/पी-470 (2)/अट्ठीस-9-2016-05 (बजट)/2016, दिनांक- 25 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
4 - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6 - वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in